अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
28/06/11	न्यायालय-अनुमण्डल दण्डाधिकारी,अरवल । वाद संख्या- 700/011 / 227/011 धारा-145 द0प्र0सं0 राजकुमार साव बनाम् राम प्रवेश यादव वगै0 = आदेश = -------0------ यह कार्यवाही खाता संख्या-352, प्लौट संख्या-789, रकबा-65 कड़ी लम्बा उत्तर से दक्षिण एवं 20 कड़ी चौड़ा पूरब से पश्चिम जिसकी चौहद्दी उत्तर- राम प्रवेश यादव, दक्षिण-रामवृक्ष साव का दो मंजीला पक्का मकान, पूरब-राजकुमार साव(प्र0 पक्ष)पश्चिम-कोली बाद रामप्रवेश यादव, अवस्थित मौजा-धर्मपुर, थाना नं0-150, अंचल-सोनभद्रवंशी सूर्यपूर, थाना-कूर्था, जिला-अरवल की भूमि पर संचालित है । उभय पक्ष कार्यवाही अन्तर्गत उपस्थित हो चुके है। प्रथम पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनकी खरिदगी भूमि है जिस पर खरिदगी पश्चात् दस फीट ऊँचा तीन कमरा बरामदा सहित पक्का दिवाल निर्माण किये है तथा सपरिवार निवास कर रहे	चिरकुट सं0 148 दिनांक 28/7/11 से प्रतिलिपि निर्गत किया गया। चिरकुट सं0 146 दिनांक 26/7/11 को निर्गत किया गया।

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3

है । प्रथम पक्ष द्वारा कब्जा के विवाद की संपुष्टि हेतु कुर्रा थाना अप्राधिमकी संख्या-72/10,धारा-107 दं0 प्र0 स0 का प्रतिवेदन पर ध्यानाकर्षण कराया गया इसके अलावे ग्राम कचहरी सरपंच के न्यायालय से जो निर्णय हुआ वह भी प्रथम पक्ष के पक्ष में है । प्रथम पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का कब्जा घोषित किया जाय ।

द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त कार्यवाही अभिलेख में इस आशय का आवेदन दाखिल किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर उन्हें कोई दावा नहीं है तथा कोई सरोकार नहीं है। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता को सुना। प्रश्नगत भूमि से द्वितीय पक्ष अपना दावा का हीं परित्याग कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उक्त कार्यवाही अन्तर्गत विशेष सम्यक जाँच या अग्रेतर कार्यवाही का कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाता है । अतः प्रथम पक्ष के निबंधित केवाला